**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ**
**पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)**
प्रकरण संख्या 92/2023

**उनवान**
1. देबी लाल पुत्र मेघा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

**--प्रार्थी**

**बनाम**
1. श्रीमति दूदी पत्नी मगना लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री देबी लाल पुत्र मोहन खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री देबी लाल पुत्र मगना खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री श्याम लाल पुत्र मगना खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति रामेश्वर देवी पत्नी श्याम लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति शान्ति देवी पत्नी प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति सोहनी देवी पत्नी प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्री डालचन्द पुत्र प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. श्री रमेश पुत्र प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. श्रीमति सायरी पत्नी बालू खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. श्री प्रकाश पुत्र बालू खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. श्री लादू पुत्र प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. श्री लादू पुत्र प्यारा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. श्री कस्तुरा पुत्र मांगूखटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. श्रीमति मंजू देवी पत्नी केशरीमल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. श्रीमति संतोष देवी पत्नी जगदीश खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. श्री कनीराम पुत्र भुरा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
18. श्री सोहन पुत्र भुरा खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

**---अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**
**निर्णय दिनांक 04.07.2023**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भॅू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 336 की आ.न. 2925/1 रकबा 0.3288है0, कुल किता 01 रकबा 0.3288है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 18 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**—::आदेश::—**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 336 की आ.न. 2925/1 रकबा 0.3288है0, कुल किता 01 रकबा 0.3288है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

**(अजीत सिंह राठौड)**
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ